



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25052026-272862
CG-DL-E-25052026-272862

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2537]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948

No. 2537]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

का.आ. 2629(अ).— केन्द्र सरकार, जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा मई, 2026 के 25 वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जब उक्त अधिनियम के प्रावधान, जहाँ तक वे उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबद्ध हैं, जो ललित कला अकादमी (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1997 से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. Akd.- 13/1/2022-Akad.]

अमिता प्रसाद सरभाई, अपर सचिव

MINISTRY OF CULTURE
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2026

S.O. 2629(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026, the Central Government hereby appoints the 25th day of May, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 54 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to The Lalit Kala Akademi (Taking Over of Management) Act, 1997, shall come into force.

[F. No. Akd- 13/1/2022-Akad.]

AMITA PRASAD SARBHAI, Addl. Secy.